

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

तीसरी मंजिल, एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग, 3 सीरी सांस्थानिक क्षेत्र, अगस्त
क्रांति मार्ग, (खेल गांव के सामने) नई दिल्ली

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा एसोसिएट्स (जैविक, व्यापार विश्लेषक और विधि) पदों के लिए जैविक विभाग में प्रतिभाशाली, नवोन्मेषी और कार्यशील पेशेवरों की नियुक्ति की जा रही है।

अक्टूबर 2001 से विदेशी व्यापार विकास विनियम (एफटीडीआर) के तहत जैविक उत्पादों के निर्यात के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयित किया जा रहा है। एपीडा एनपीओपी के कार्यान्वयन के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करता है।

2. नियुक्ति का प्रकार और अवधि:
 - i. एसोसिएट स्तर पर नियुक्ति होगी।
 - ii. पूर्णतः संविदा आधार पर नियुक्ति होगी।
 - iii. नियुक्ति प्रारंभ में दो वर्ष की अवधि के लिए होगी जिसे कार्य निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तीन वर्ष के बाद किसी भी परिस्थिति में कोई अतिरिक्त विस्तार अनुमन्य नहीं होगा।
3. **योग्यता, अनुभव और रिक्तियां:** निम्नलिखित योग्यता और अनुभव वाले आवेदकों को एसोसिएट्स के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा।

3.1 योग्यता:

पद	रिक्ति	शिक्षण	शैक्षिक योग्यता
एसोसिएट (जैविक)	2	जैविक	<p>अनिवार्य:-</p> <p>कृषि में स्नातकोत्तर।</p> <p>जैविक क्षेत्र में 3 वर्ष या उससे अधिक का कार्य अनुभव अनिवार्य है।</p> <p>कंप्यूटर में कार्यसाधक ज्ञान।</p> <p>वांछनीय: विनियामक अनुपालन, मानकों आदि के क्षेत्र में अनुभव।</p>
एसोसिएट (व्यापार विश्लेषक)	1	अर्थशास्त्र/सांख्यिकी	<p>अनिवार्य:-</p> <p>अर्थशास्त्र/सांख्यिकी या संबंधित क्षेत्र में स्नातकोत्तर के साथ संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम 3 वर्ष का कार्य अनुभव।</p> <p>डेटा को प्रबंधित और विश्लेषण करने और एमआईएस रिपोर्ट तैयार करने का ज्ञान। कंप्यूटर एप्लिकेशन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पोर्टल , डेटा विश्लेषण के लिए आईटी एप्लिकेशन आदि का ज्ञान।</p> <p>वांछनीय:</p> <p>कृषि, बाजार आसूचना ,</p>

			आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा विश्लेषण आदि के क्षेत्र में पूर्व अनुभव।
एसोसिएट (विधि)	1	विधि	अनिवार्य: संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम 3 वर्ष के कार्य अनुभव के साथ लॉ में स्नातकोत्तर (एलएलएम)। व्यापार और निर्यात से संबंधित कानूनी मुद्दों का ज्ञान। शिकायतों/अभ्यावेदन प्रारूपण, कारण बताओ नोटिस, प्रवर्तन कार्रवाइयों आदि से निपटने का बुनियादी ज्ञान। वांछनीय कृषि, नियामक मानकों के कार्यान्वयन आदि के क्षेत्र में अनुभव।

उम्मीदवार को केवल एक ही आवेदन जमा करना होगा। एक से अधिक आवेदन जमा करने पर आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।

केवल आवेदन जमा करने से आवेदक को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के किसी अधिकार की पुष्टि नहीं होती है।

आवेदन केवल निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

सक्षम प्राधिकारी अपने विवेकानुसार किसी भी आवेदन/उम्मीदवारी को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और इस संबंध में आवेदक से कोई पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

अपूर्ण/अहस्ताक्षरित प्राप्त आवेदन और अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को उम्मीदवार को बिना किसी सूचना के सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

गलत घोषणा/झूठी जानकारी प्रस्तुत करने या कानून के विपरीत कोई अन्य कार्य करने पर किसी भी स्तर पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

3.2 आयु - ऊपरी आयु सीमा 45 वर्ष।

4. पारिश्रमिक और वार्षिक वृद्धि

- 4.1 पारिश्रमिक में सभी लागू कर शामिल होंगे और किसी अन्य सुविधा या भत्ते की अनुमति नहीं होगी। पद के लिए पारिश्रमिक की सीमा इस प्रकार है:

पद	पारिश्रमिक प्रति माह (रु.)
एसोसिएट्स (जैविक, व्यापार विश्लेषक और विधि)	90,000/- रुपए - Rs. 1,45,000/- रुपए

- ii. किसी भी चयनित उम्मीदवार के लिए पारिश्रमिक निम्नलिखित आधार पर निर्धारित किया जाएगा:
अंतिम राशि शैक्षणिक योग्यता, पूर्व अनुभव और साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर चयन समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी।

5. टीए/डीए: एसोसिएट को भारत में किसी भी स्थान की यात्रा करना अपेक्षित होगा। दौरे के दौरान, केंद्र सरकार के एसोसिएट (स्तर 10) को टीए/डीए स्वीकार्य होगा।

6. कार्य के घंटे और अवकाश:

- i. कार्य दिवसों के दौरान कार्य के घंटे सामान्यतः सुबह 9 बजे से शाम 5.30 बजे तक होंगे, जिसमें बीच में आधे घंटे का लंच ब्रेक भी शामिल होगा। हालाँकि, कार्य की अत्यावश्यकताओं में, एसोसिएट्स को देर तक बैठने की आवश्यकता भी हो सकती है और उन्हें शनिवार/रविवार और अन्य अवकाश पर भी बुलाया जा सकता है।

- ii. एसोसिएट्स एक वर्ष की अवधि के दौरान आनुपातिक आधार पर नियंत्रण अधिकारी की पूर्व लिखित अनुमोदन के अधीन 20 दिनों के अवकाश के लिए पात्र होंगे। अनुपलब्ध अवकाश को अगले वर्ष में नहीं बढ़ाया जा सकता। इसके अतिरिक्त, नियंत्रण अधिकारी की पूर्व अनुमति से बिना पारिश्रमिक के एक महीने तक की अवकाश पर विचार किया जा सकता है।

हालाँकि, पेशेवर विकास, प्रशिक्षण आदि की आवश्यकता जैसे दुर्लभ और असाधारण मामलों में, आधिकारिक अत्यावश्यकताओं के अधीन, अध्यक्ष के अनुमोदन से इस शर्त में छूट दी जा सकती है।

- iii. उपरोक्त के अतिरिक्त, पत्र सं. S-360 17/03/20 15-SS-1 दिनांक 12 अप्रैल, 2017 के माध्यम से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 के अनुसार मातृत्व अवकाश के लिए महिला एसोसिएट पात्र हो सकती हैं।

7. समाप्ति:

- i. विभाग द्वारा किसी भी समय 30 दिन का नोटिस देकर या उसके बदले भुगतान करके नियुक्ति

समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार, एसोसिएट्स भी समान अवधि के लिए नोटिस देने के बाद इस्तीफा दे सकते हैं।

सौंपे गए कार्य को करने में विफलता या आचरण के किसी भी मानक का पालन करने में विफलता की स्थिति में विभाग किसी भी स्तर पर किसी भी एसोसिएट को निकालने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

8. सामान्य नियम एवं शर्तें:

- i. एपीडा एसोसिएट्स को किसी भी कार्यालय में कार्य शुरू करने से पहले किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सक से अच्छे स्वास्थ्य का विवरण प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है।
- ii. एसोसिएट्स के रूप में नियुक्ति शैक्षिक योग्यता और अनुभव से संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन है। यदि एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तुत कोई भी जानकारी/दस्तावेज किसी भी स्तर पर गलत/झूठी पाई जाती है, तो उसकी नियुक्ति तुरंत समाप्त कर दी जाएगी और उसके विरुद्ध नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।
- iii. एसोसिएट्स समय-समय पर संशोधित शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 द्वारा अधिशासित होंगे और विभाग में एसोसिएट के रूप में उनकी नियुक्ति की अवधि के दौरान उनके ध्यान में आने वाली किसी भी जानकारी / डेटा को किसी भी अनधिकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) को प्रकट नहीं करेंगे। ऐसी सभी जानकारी/रिकॉर्ड/कागजात/सॉफ्टवेयर/ईमेल आदि एपीडा की संपत्ति होंगे।
- iv. एसोसिएट्स वाणिज्यिक लाभ के प्रयोजन से विज्ञापन या अन्यथा सार्वजनिक नहीं करेगा कि उसका एपीडा के साथ संविदात्मक संबंध है। वह किसी भी प्रकार से, एपीडा के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना, व्यवसाय के संबंध में या अन्यथा एपीडा के नाम, प्रतीक या आधिकारिक मुहर या एपीडा के नाम के किसी भी संक्षिप्त रूप का उपयोग नहीं करेगा।
- v. एसोसिएट्स से एपीडा के नियमों और विनियमों के अनुसार उचित आचरण की अपेक्षा की जाएगी। उनसे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय उच्च नैतिक चरित्र, सत्यनिष्ठा, कार्यालय की गोपनीयता और कार्य के प्रति समर्पण प्रदर्शित करने की अपेक्षा की जाएगी। यदि उसकी सेवाएं संतोषजनक नहीं पाई गईं या एपीडा के हितों के विपरीत पाई गईं, तो उसकी सेवाएं बिना किसी नोटिस अवधि या मुआवजे के तुरंत समाप्त कर दी जाएंगी।
- vi. सामान्य तौर पर, एसोसिएट्स अनुबंध के तहत अपने दायित्वों के कार्य- निष्पादन के संबंध में एपीडा के बाहर किसी भी प्राधिकारी से न तो निर्देश मांगेंगे और न ही किसी निर्देश को स्वीकार करेंगे। एसोसिएट्स अनुबंध के अपने कार्य- निष्पादन के संबंध में या अनुबंध के तहत अपने दायित्वों से संबंधित कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा जो एपीडा के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, और एसोसिएट्स एपीडा के हितों का पूरा ध्यान रखते हुए अनुबंध के तहत अपने

दायित्वों का पालन करेंगे। एसोसिएट्स आश्वासन देगा कि उसने एपीडा के किसी भी प्रतिनिधि , अधिकारी, कर्मचारी या अन्य एजेंट को अनुबंध के कार्य निष्पादन या उसे प्राप्त करने से उत्पन्न या उससे संबंधित कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ नहीं दिया है और न ही देगा। वह अनुबंध के तहत अपने दायित्वों के कार्य- निष्पादन से संबंधित सभी कानूनों , अध्यादेशों, नियमों और विनियमों का पालन करेगा। अनुबंध के निष्पादन में , व्यक्तिगत एसोसिएट आचरण के सामान्य मानकों का पालन करेगा। इसका अनुपालन करने में विफलता व्यक्तिगत एसोसिएट को बर्खास्त कर सकता है।

- vii. **यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार निषेध:** अनुबंध के निष्पादन में, एसोसिएट "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम , निषेध और निवारण) अधिनियम , 2013" का अनुपालन करेंगे। एसोसिएट स्वीकार करता है और इस बात से सहमत है कि इसके किसी भी प्रावधान का उल्लंघन अनुबंध की आवश्यक शर्तों का उल्लंघन होगा , और, किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध किसी भी अन्य कानूनी अधिकार या उपचार के अतिरिक्त , अनुबंध को समाप्त करेगा। इसके अतिरिक्त, आचरण के पूर्वगामी मानकों के किसी भी कथित उल्लंघन को उचित कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित राष्ट्रीय अधिकारियों को संदर्भित करने के एपीडा के अधिकार को सीमित नहीं करेगा।
- viii. एपीडा की सेवा के दौरान मृत्यु , चोट या बीमारी की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में , एसोसिएट्स या निकटतम रिश्तेदार किसी भी मुआवजे या नियुक्ति के हकदार नहीं होंगे।
- ix. एसोसिएट को अपने संबंधित पुलिस स्टेशन से एक पुलिस सत्यापन रिपोर्ट जमा करनी होगी और नियुक्ति से पहले किसी अधिकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा जारी मेडिकल-सह-फिटनेस प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा।
- x. नियुक्ति की अवधि एपीडा में जोड़ने की तारीख से शुरू होगी।
- xi. एसोसिएट्स के रूप में नियुक्ति की अवधि बाद की तारीख में एपीडा या किसी अन्य सरकारी विभाग में नियुक्ति/रोजगार के लिए कोई दावा या अधिकार प्रदान नहीं करेगी।
9. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

इच्छुक उम्मीदवार अपने स्कैन सीवी और संबंधित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियों के साथ निर्धारित प्रारूप (प्रतिलिपि संलग्न) में अपना हस्ताक्षरित और टाइप किया हुआ आवेदन जमा कर सकते हैं।

10. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31.10.2023 है। टाइप किया हुआ और हस्ताक्षरित आवेदन recruitment@apeda.gov.in पर ईमेल के माध्यम से भेजा जाए। आवेदित पद का

उल्लेख करना अनिवार्य है:

नोट: साक्षात्कार के लिए केवल शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों से ईमेल के माध्यम से संपर्क किया जाएगा।

निदेशक
एपीडा

एसोसिएट्स (जैविक, व्यापार विश्लेषक और विधि) पद के लिए आवेदन

सचिव, एपीडा
तीसरी मंजिल, 3 सीरी सांस्थानिक क्षेत्र
अगस्त क्रांति मार्ग
हौज़ खास,
नई दिल्ली - 110 016

पद के लिए आवेदन: _____

स्ट्रीम: _____

(जैविक, विधि और अर्थशास्त्र)

नवीनतम
फोटोग्राफ
चिपकाएँ

1. पूरा नाम (बड़े अक्षर में): _____

2. पिता/पति का नाम: _____

3. स्थायी पता: _____

4. पत्राचार पता: _____

5. संपर्क नंबर और ईमेल-आईडी: _____

6. जन्मतिथि: _____

(आयु के प्रमाण की स्वप्रमाणित प्रति

संलग्न करें) आयु 01.07.2023 तक:

7. राष्ट्रियता: _____

8. शैक्षिक/व्यावसायिक योग्यताएँ:

विश्वविद्यालय/बोर्ड का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	स्ट्रीम/विषय	अंकों/सीजीपीए का %

(आवश्यक शैक्षणिक योग्यता की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

9. योग्यता पश्चात प्रासंगिक क्षेत्रों में कार्य अनुभव:

नियोक्ता का नाम और पता	सेवा अवधि (से-तक dd/mm/yy में)	कुल कार्यकाल (वर्षों और महीनों में)	पद	कार्य/जिम्मेदारियों की प्रकृति

(अनुभव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

10. प्रवीणता ज्ञात भाषाएँ: _____

11. कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी: _____

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

दिनांक: _____

स्थान: _____

*किसी भी भ्रांति की स्थिति में अंग्रेजी को वरीयता दी जाएगी।